न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर
प्रकरण संख्या 1831/2017(2017/01406)
गोपाल सिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कालेडा कंवर जी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सावर –– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित:–
1. मनीष कुमार खण्डेलवाल–वकील प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर

–:: आदेश ::– दिनांक– 18.04.2022

पत्रावली आज न्यायालय मे पेश हुई। वादी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार उपस्थित प्रकरण मे पक्षकारान को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार है

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी ग्राम कालेडा कंवर जी तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है

खसरा संख्या नया–पुराना	रकबा	किस्म पुराना–नया
832–1034	0.17है.	मा–3 – गै.मु.रास्ता
953–1034	0.85है.	मा–3 – बारानी उत्तम

यह कि उक्त वर्णित आराजीयात परिशोधन पत्र संख्या 9 के अनुसार खसरा संख्या 1034 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 1045 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा तथा खसरा संख्या 1143 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी इन्द्र कंवर जोजे नन्दभंवर सिंह के स्थान पर रुपसिंह पुत्र अभयसिंह के नाम दर्ज होना स्वीकार किया गया। वादग्रस्त आराजी का परिशोधन पत्र निष्पादित होने से पूर्व वादग्रस्त आराजी पर इन्द्र कंवर जोजे नन्दभंवर द्वारा काश्त की जाती रही है तथा तत्समय काश्त के आधार पर खसरा गिरदावरी संवत 2042 से 2053 तक में भी वादग्रस्त आराजी की किस्म मा–3 का अंकन चला आ रहा है। तत्पश्चात परिशोधन पत्र के अनुसार उक्त आराजी पर प्रार्थी के पिता रुपसिंह जी द्वारा कब्जा काश्त होने के आधार पर खसरा गिरदावरी संवत 2054 से 2057 में भी वादग्रस्त आराजी की किस्म मा–3 का अंकन रहा। नक्शा किश्तवार संवत 2027 के अनुसार वादग्रस्त आराजी के पुराने खसरा संख्या 1034 में किसी भी रास्ते का अंकन नही दर्शाया गया है परन्तु साबिक खसरा संख्या 1034 के नये खसरा संख्या 832 को नक्शा किश्तवार में रास्ते के रुप में दर्शाया हुआ है जो पूर्णतः अविधिक है। वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार रुपसिंह पुत्र अभयसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त की गयी तथा उनके निधन के पश्चात प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व अधिकारियोंध्कर्मचारियों द्वारा बरवक्त सेटलमेंट त्रुटि पूर्वक किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बिना वादग्रस्त आराजी की किस्म में परिवर्तन कर वादग्रस्त आराजी की किस्म मा–3 के स्थान पर गैर मुमकिन रास्ता कर दिया गया जो प्रार्थी के अधिकारों के विपरीत होने से पूर्णतः अविधिक है। बरवक्त सेटलमेन्ट राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों का विधिक दायित्व है कि [illegible]माबन्दी की प्रविष्ठियों का यथावत अंकन

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.11 12:02:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

नवीन प्रविष्ठियों में किया जावें जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी का आदेश ना हो, किन्तु राजस्व अधिकारियोंध्कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के आदेश के पूर्व की प्रविष्ठी में वादग्रस्त आराजी की अंकित किस्म को बदलकर गैर मुमकिन रास्ता की नवीन किस्म का अकंन कर दिया गया जिसका राजस्व अधिकारियोंध्कर्मचारियों को हक व अधिकार नहीं है। राजस्व अधिकारीयोंध्कर्मचारियों द्वारा बरवक्त सेटलमेंट की गयी त्रुटि को दुरुस्त किये जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। सेटलमेंट के दौरान की गयी प्रविष्ठी के आधार पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा किश्तवार में भी रास्ते का अकंन कर दिया गया है जिसे भी इस प्रार्थनापत्र के माध्यम से दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। बंदोबस्त विभाग द्वारा जमाबन्दी संवत 2041 में अंकित वादग्रस्त आराजी की किस्म को बिना किसी सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी के आदेश के परिवर्तित करते हुए त्रुटिपूर्ण रूप से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया है जो कि एक लिपिकिय त्रुटि है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ते से दुरुस्त करते हुए सवत 2041 से पूर्व की प्रविष्ठी के अनुरुप मा–3 की जाती है तो अप्रार्थी के विधिक अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। बरवक्त सेटलमेन्ट राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा बिना की आदेश के वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तित गैर मुमकिन रास्ता किये जाने से प्रार्थी की भूमि का रकबा कम कर दिया गया तथा प्रार्थी को क्षतिपूर्ति अदा किये बिना ही वादग्रस्त आराजी को नक्शे में रास्ता अंकित कर दिया। राजस्व अधिकारियों का उक्त कृत्य प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात है। बन्दोबस्त विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर लिपिकीय त्रुटि कारित की गयी है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दुरुस्त किये जाने में कोई विधिक बाध्यता नहीं है प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे स्वीकार किये जाने का निवेदन प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है

प्रकरण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर को जवाब तलब किया। पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सावर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश जवाब दिया जो निम्न प्रकार है।

1. प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार है।
2. प्रा. पत्र के बिन्दु संख्या 2 राजस्व रेकॉर्ड अनुसार स्वीकार है।
3. प्रा. पत्र कि बिन्दु सं 3 राजस्व रेकार्ड अनुसार स्वीकार है
4. प्रा. पत्र कि बिन्दु संख्या 4 में साबिक खसरा नंबर 1034 के राजस्व मानचित संवत् 2027 में गै.मु.रास्ता दर्ज नही है जिसके हाल खसरा नंबर 832 के राजस्व मानचित संवत 2039–40 में गै.मु.रास्ता दर्ज हो रखा है जो आंशिक स्वीकार है।
5. प्रा.पत्र कि बिन्दु संख्या 6 अस्वीकार है।
6. प्रा.पत्र कि बिन्दु संख्या 7 व 8 न्यायालय से संबंधित है
7. प्रा. पत्र कि बिन्दु संख्या 9 मे आराजी खसरा नंबर हाल 832 रकबा 0.17 किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है जो वर्तमान में रास्ते के रूप में आने जाने के काम आ रहा है।
8. बिन्दु संख्या 10 न्यायालय से संबंधित है
9. बिन्दु संख्या 11 अस्वीकार है
10. बिन्दु संख्या 12 से 14 न्यायालय से संबंन्धित है।

पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने योग्य बताया।

प्रार्थी ने पैरोकार सरकार के जवाब प्राप्त होने पर प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जवाब सरकार के प्रत्युतर में बताया कि वादर्णित आराजीयात परिशोधित [illegible] होने से पूर्व तथा पश्चात भी किस्म मा–3 रही तथा खसरा गिरदावरी संवत 204[illegible] तथा 2054 से 2057 तक में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.11 12:02:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

वादवर्णित आराजी की किस्म मा—3 का अंकन चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त नक्शा किश्तवार संवत् 2027 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में रास्ते का कोई अंकन नही था परन्तु नये खसरा 832 के नक्शे किश्तवार में रास्ते का अंकन दर्शाया गया है जो अविधिक है क्योंकि उक्त अंकन भु—प्रबन्ध विभाग द्वारा भू—प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान बिना किसी सक्षम न्यायालय के पूर्व प्रविष्टियों में बदलाव करते हुए भूमि की किस्म को किसी प्रकार का विधिक अधिकार नहीं है। तहसीलदार महोदय द्वारा प्रस्तुत जवाब की चरण संख्या 4 में इस तथ्य की स्वीकारोक्ती है कि संवत् 2027 में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भू—प्रबन्ध विभाग को मूल प्रविष्ठियों में किसी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार नहीं है।

(A) Settelment Department has no right to change the entries.

(B) Error in recording entry can be corrected u/Sec. 136.

प्रार्थी अधिवक्ता ने उद्वरण पेश किये जिसका सहसम्मान अध्ययन किया जो निम्ननानुसार है

1. 2018(2)RRT 1030 (State of rajasthan vs Bhanwarlal&Anr.
2. 2009(2)RRT 954 (Mohammad MUshtaq& Ors. Vs Peeru& Ors.
3. 2019(2) RRT 970 (State of Rajasthan vs Puran)
4. 2018(1) RRT 292 (Mandir Thakur ji Sita Ram Ji vs Kalyan Shaya Meena&Ors.)
5. 2020(2) RRT 808 (State vs Ramkaran)

अतः प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई प्रविष्ठी को सुधार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाता है भु—प्रबन्ध विभाग द्वारा 2041 में अंकित वादग्रस्त आराजी की किस्म को बिना किसी सक्षम न्यायालय अथावा प्राधिकारी के आदेश के परिवर्तित करते हुए त्रूटिपूर्ण रूप से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया था जिसे दूरूस्त किया जाकर, वादग्रस्त आराजी ग्राम कालेडा कंवर जी के साबिक खसरा नंबर 1034 के नये खसरा संख्या 832 कि किस्म गै.मु.रास्ता को दुरूस्त किया जाकर पुरानी जमाबंदी सवंत 2042 से 2053 के अनुसार मा—3 किये जाने के आदेश दिया जाता है वर्तमान में मौका रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नंबर 832 रकबा 0.17 किस्म गै.मु.रास्ते मे रास्ते के रूप में आने जाने के काम आ रहा है। जिसे यथावत आने जाने हेतु उपयोग में लिया जावे। खर्चा फरिकेन अपना—अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.11 12:02:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner